


**:: परिपत्र ::**

(सुख-साधन कर के अन्तर्गत ऑनलाईन विवरणी दाखिल करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया)

उत्तराखण्ड होटलों में सुख-साधन कर के अन्तर्गत जिन होटल स्वामियों द्वारा सुख-साधन कर की विवरणी दाखिल की जानी है, उनकी सुविधा हेतु ऑनलाईन मासिक रिटर्न दाखिल किए जाने की सुविधा की गई है। ऑनलाईन रिटर्न दाखिल किए जाने हेतु निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा :-


- Step 1-** व्यापारी अपने User ID Password से विभागीय वेबसाईट [www.comtaxappl.uk.gov.in](http://www.comtaxappl.uk.gov.in) पर Login करेंगे।
- Step 2-** Login के उपरान्त बाई ओर उपलब्ध विकल्पों में से Luxury Tax Return के विकल्प का चयन करेंगे।
- Step 3-** इसके पश्चात् दिए गए विकल्पों में से Download Offline LT Periodical Return Form पर Click कर LT Return Form अपने कम्प्यूटर पर Download करेंगे।
- Step 4-** Download की गई File को Open करने के उपरान्त व्यापारी निर्धारित स्थानों में सम्बन्धित विवरण अंकित कर Validate and Generate XML पर Click कर Generated XML File अपने कम्प्यूटर पर Save करेंगे।
- Step 5-** इसके पश्चात् व्यापारी द्वारा अपने Login Account में उपलब्ध Upload XML LT Return File पर Click कर पूर्व में (Step 4 में) Save की गई Offline XML File को Select कर Upload करेंगे।
- Step 6-** Upload की गई Return के Print का विकल्प व्यापारी के पास उपलब्ध होगा। यदि आवश्यक हो तो वह इसका Print out भी ले सकते हैं।
- Step 7-** Upload की गई Return को व्यापारी Return History में जाकर देख सकेंगे तथा आवश्यकतानुसार Acknowledgement एवं Return का Print out ले सकेंगे।

  
(दिलीप जावलकर)  
आयुक्त कर,  
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 : 2143 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर।
- 2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर एवं Web Information Officer को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
- 5- मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी/विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

  
आयुक्त कर,  
उत्तराखण्ड।